अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर
अधीक्षण अभियन्ता ;योजनाद्ध
कॉरपोरेट आइडेन्टीफीकेशन नम्बर(ब्छ) 40109त्श्र2000ैळब016482
विद्युत भवन, पंचशील नगर पॉवर हाउस, माकडवाली रोड अजमेर
0145.2644543ए2644552

क्रमांकः अविविनिलि/अ.अ./योजना/आर.ई/प्रे. 7288

दिनांक 02/2/2015

कार्यालय–आदेश

विषय :कृषि कनेक्शनों के अनाधिकृत बढ़े हुये भार की "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" लागू करने कें संबंध में ।

कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि और राजस्व हानि को रोकने के लिये कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" पूर्व मे आदेश संख्या 4046 दिनांक 01.08.2012 (आर.ई.अज.–219) द्वारा 30 नवम्बर 2012 तक लागू की गई थी । इसके पश्चात् यह योजना अध्यक्ष डिस्कॉम्स के आदेश क्रमांक 657 दिनांक 10.10.2014 के द्वारा 10 अक्टूबर 2014 से 09 जनवरी 2015 तक लागू की गई थी । इसी क्रम में "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" को निम्न प्रावधानों के अनुसार पुनः 10 जनवरी 2015 से 31 मार्च 2015 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है ।

1. ऐसे कृषक जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते है अथवा दूसरे कुएं पर जो उसी खसरा/खेत/परिसर/मुरब्बा में हो, दूसरी मोटर चलाने के लिये भार बढ़ाते हैं उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया जायेगा ।
2. इस "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" के अन्तर्गत उन कृषि उपभोक्ताओं का जिनके कनेक्शन को एक वर्ष से अधिक समय हो गया है यदि विद्युत भार बढ़ा हुआ पाया जावे तो उनसे कोई पैनल्टी राशि नहीं ली जाकर मात्र धरोहर राशि जमा करवा कर भार नियमित किया जावें ।
3. जिन कृषि उपभोक्ताओं के कनेक्शनों को एक वर्ष की अवधि नहीं हुई है वे भी उक्त योजना का लाभ ले सकते है किन्तु इसके लिये धरोहर राशि के अतिरिक्त रूपये 2500/– प्रति हॉर्स पावर (अतिरिक्त बढ़े भार पर) देने होगें ।
4. यदि पद (3) में इंगित उपभोक्ता इस योजना का लाभ नहीं उठाते है तो उक्त योजना की अवधि समाप्ति पर चैकिंग के दौरान उनका भार स्वीकृत भार से अधिक पाये जाने पर ऐसे उपभोक्ताओं को बढे हुये भार पर प्रति एच.पी रू. (2500+2500) कुल रूपये 5000/– मात्र पैनल्टी जमा करानी होगी ।
5. योजना अवधि में योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्तओं के लिये आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि व नई 11 केवी लाईन एव सब–स्टेशनों का खर्च निगम द्वारा वहन किया जायेगा ।

उक्त "स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना" की समाप्ति (31 मार्च 2015) के पश्चात् भार सत्यापन के लिये विशेष अभियान चलाया जायेगा ।

(ई.एन.एल.साल्वी)
अधीक्षण अभियन्ता (योजना)

SE (IT), AVVNL, AJMER
3220 04/02/15

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. ऊर्जा सचिव, ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. सलाहकार ;मानिटरिंग ,माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निदेशक ;वित्त / तकनीकी, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
4 प्रावैधिक सहायक, अध्यक्ष डिस्कॉमस, जयपुर।
5 सम्भागीय / मुख्य अभियन्ता ;पवस / वाणिज्य / आई.टी एण्ड एम.एन.पी, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर / उदयपुर / झुंझुनू।
6. मुख्य लेखाधिकारी ;लेखा / रेवेन्यु / डब्ल्यू एण्ड एम, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
7. सचिव ;प्रशासन, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
8. अधीक्षण अभियन्ता ;पवस / टी.डब्ल्यू / एम.एम / एम एण्ड पी / विजिलेंन्स / आर.जी.जी.वी.वाई, अ.वि.वि.नि.लि., ——————————।
9. अधीक्षण अभियन्ता (आई.टी), अ.वि.वि.नि.लि.,अजमेर। अजमेर डिस्कॉम के वेब पोर्टल पर अपलोड करने हेतु ।
10. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ;सतर्कता अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
11. प्रावेधिक—सहायक, प्रबन्ध निदेशक अजमेर डिस्कॉम, अजमेर।
12. कम्पनी सचिव, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
13. 'वरिष्ठ लेखाधिकारी ;राजस्व / आ. अंकेक्षण अ.वि.वि.नि.लि., ——————।
14. जन सम्पर्क अधिकारी, अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
15. सहायक लेखाधिकारी; नियम अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर।
16. निजी सचिव—माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को सूचनार्थ।
17. सहायक सचिव, प्रबन्ध निदेशक, अजमेर डिस्कॉम, अजमेर ।

अधीक्षण अभियन्ता (योजना)